''रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री डेवलपमेन्ट''– मुर्गी ग्राम योजना से संबंधी क्रियान्वयन अनुदेशे –

1) **योजना का उद्देश्य–** वर्त्तमान में राज्य में प्रति व्यक्ति 13 अंडे की उपलब्धता (राज्य में उत्पादित 6 अंडे तथा आयातित किये गये 7 अंडे) को बैकयार्ड मुर्गीपालन द्वारा बढ़ावा देकर मुर्गीजन्य उत्पादों अंडे एवं मांस की उपलब्धता को बढ़ा कर कुपोषण से बचाव किया जाना है। इससे रोजगार के नये सृजन एवं मुर्गीपालकों के आय में वृद्धि संभावित है। इस योजना से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों एवं महादलित परिवारों के आर्थिक विकास में उन्नति होगी।

2) **योजना का क्रियान्वयन–**

i) **क्रियान्वित किये जाने वाले जिले एवं लाभान्वित परिवार**– इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राज्य के छः जिलों यथा पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद, भोजपुर एवं वैशाली में प्रति जिला 2500 व्यक्तियों (1250 बी0 पी0 एल0 व्यक्तियों एवं 1250 महादलित व्यक्तियों) कुल 15,000 व्यक्तियों को 45 लोइनपुट प्रजाति के चूजे (15–15 बैच के तीन बैचों) देकर लाभान्वित किया जाना है।

ii) **लाभान्वित परिवारों का चयन–** बी0 पी0 एल0 परिवारों की सूची प्रखण्डों से प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारियों/ भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा चयन कर तथा सूची को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से सत्यापित कराकर जिला स्तर पर पदस्थापित सहायक कुक्कुट पदाधिकारियों को सौंपी जायेगी। सहायक कुक्कुट पदाधिकारी द्वारा जिला पशुपालन पदाधिकारी के माध्यम से निदेशालय को समर्पित किया जाएगा। लाभान्वितों की सूची की एक प्रति एवं लाभान्वितों के परिवारों के घरों तक पहुँचने का रूट चार्ट संबंधित जिला के सहायक कुक्कुट पदाधिकारी के पास संधारित रहेगा। व्यक्तियों को समूहों (ब्सनेजमते) में चूजा दिए जाने एवं पोल्ट्री रूट निर्धारित कर चूजों को वितरित किया जयेगा। महादलित परिवारों का चयन बिहार महादलित विकास मिशन के मार्गदर्शन के अनुसार जिलों में पदस्थापित सहायक कुक्कुट पदाधिकारियों द्वारा की जायेगी तथा उसकी सूची मिशन एवं पशुपालन निदेशालय को समर्पित की जायेगी।

iii) **चूजो का वितरण–** प्रत्येक परिवार को 15–15 की संख्या में तीन लॉट्स में कुल 45 चूजे दिया जाना है। सहायक कुक्कुट पदाधिकारियों द्वारा प्रथम लॉट्स में वितरित किये गये चूजो के संबंध में स्वास्थ्य परीक्षण एवं जिन्दा मुर्गियों की अद्यतन स्थिति की जानकारियाँ उपलब्ध कराने के फलस्वरूप दूसरी लॉट्स 16 सप्ताह एवं तीसरे लॉट्स की मुर्गियां 32 सप्ताह के उपरांत लाभार्थियों को वितरित किए जाने की कार्रवाई की जा जायेगी।

iv) **मदर यूनिट का संस्थापन–** 300 परिवारों के लिए वितरित किए जाने वाले चूजो पर एक मदर यूनिट का स्थापना की जायेगी। इस प्रकार एक जिले में 2,500 व्यक्तियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से 8 मदर यूनिट की स्थापना की जायेगी। जहानाबाद, आरा, नालंदा एवं वैशाली में 8 मदर यूनिट प्रति जिला तथा बड़े जिले – पटना एवं गया में प्रति जिला 9 मदर यूनिट की स्थापना की जायेगी। इस प्रकार राज्य के 6 जिलों में कुल 50 मदर यूनिट की स्थापना होगी। एक मदर यूनिट में 300 ग 15 त्र 4500 चूजे एक सिफ्ट में पाले जायेगे। जिलों में मदर यूनिट स्थापित करने हेतु म्गचतमेपवद वि प्दजमतमेज निकाल कर व्यक्तियों का चयन किया जायेगा। मदर यूनिट स्थापित करने वाले व्यक्ति को 20,000/– रूपये प्रति मदर यूनिट सब्सीडी के रूप में, 36,000 रूपये की राशि सूद रहित ऋण के रूप में, 80,000 रूपये की राशि ऋण के रूप में बैंक के माध्यम से प्राप्त होगी। प्रत्येक मदर यूनिट में पाली जाने वाली चार सप्ताह तक की मुर्गियों को फेरीवाले (भेन्डरस) के माध्यम से लाभान्वित परिवारों को पहुँचाया जायेगा तथा भेन्डरस का चयन मदर यूनिट के संचालक के द्वारा किया जायेगा।

v) **मदर यूनिट स्थापित करने हेतु म्गचतमेपवद वि प्दजमतमेज के लिए हेतु निर्धारित प्रक्रिया–** मदर यूनिट में पाले जाने वाले प्रत्येक चूजे को एक दिन से चार सप्ताह तक ठंसंदबम मिमक के रूप में 750 ग्राम दाना खिलाया जाना आवश्यक है। चार सप्ताह तक दिये जाने वाले तीनों टंबबपदम (रानीखेत, प्रथम सप्ताह, गम्बोरो 10 –14 दिनों, तथा रानीखेत का बूस्टर डोज

21 दिनों के बाद,) प्रत्येक चूजे को दिया जाना है। टंबबपदंजपवद किये जाने के एक दिन पूर्व मदर यूनिट के संस्थापक द्वारा इसकी सूचना सहायक कुक्कुट पदाधिकारी को देनी होगी। चार सप्ताह तक पाले जाने के उपरान्त प्रत्येक चूजो का वजन 550 ग्राम होना आवश्यक है। उसके बाद ही टमदकवते (फेरीवाला) के द्वारा उसे लाभार्थियों के बीच वितरित करने की कार्रवाई की जानी है। एक मदर यूनिट स्थापित किये जाने हेतु 1000 ेुण्जिण शेड की आवश्यकता होगी। उस भूमि से संबंधित अभिप्रमाणित कागजात एकरारनामा करते वक्त जमा करना होगा। जिले में संस्थापित किये जाने वाले मदर यूनिट के संस्थापक एवं विभाग के बीच एकरारनामा पत्रा पर हस्ताक्षर किया जायेगा। विभाग के द्वारा सहायक कुक्कुट पदाधिकारी इस कार्य हेतु नामित किये गये है। उक्त एकरारनामा में उपरोक्त कार्रवाई पूर्ण किए जाने वाले को ही अनुदान से संबंधित राशि निर्गत किये जाने हेतु बैंक को पत्रा लिखा जायेगा। प्रत्येक मदर यूनिट को दिये जाने वाले चूजो को पालने हेतु पूरे 4 सप्ताह के लिए 4 प्रतिशत मृत्यु दर के हिसाब से अतिरिक्त चूजो की आपूर्त्ति की जायेगी। चूजो की 4 प्रतिशत से अधिक मृत्यु दर होने पर 4 सप्ताह के उपरांत वितरित किये जाने वाले चूजो के पालन हेतु दिये जाने राशि से 15 रूपये प्रति चूजा की दर से राशि काटकर मदर यूनिट के संस्थापक को दी जायेगी। चार सप्ताह तक चूजा पालन करने एवं उपरोक्त बिन्दुओं को दृढ़ता से पालन करने एवं सहायक कुक्कुट पदाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्रा निर्गत किये जाने के उपरांत प्रति चूजा लगभग 25 रूपये की दर से (निविदा द्वारा निर्धारित राशि) भुगतान विभाग द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक मदर यूनिट को एक सिफ्ट में पाले जाने वाले 4500 चूजो को लाभान्वितों के घर तक पहुँचाने हेतु 3 (तीन) टमदकवते (फेरीवाला) रखने का प्रावधान किया गया है।

vi) **मदर यूनिट में पंजियों का संधारण–** प्रत्येक मदर यूनिट के संस्थापक को प्रक्षेत्रा संबंधी दैनिक पंजी का संधारण कर मदर यूनिट में रखना होगा। उस पंजी में थ्ममकपदहए टंबबपदंजपवदए चूजो का मृत्यु दर, इत्यादि अंकित होगा, जिसका सत्यापन जाँच पदाधिकारी द्वारा किया जा सके। मदर यूनिट के संस्थापको को लाभार्थियों को वितरित की गयी मुर्गियों के सत्यापन हेतु लाभार्थियों से इस आशय का प्रमाण पत्रा प्राप्त करना आवश्यक होगा कि लाभार्थियों द्वारा 15 मुर्गियाँ प्राप्त की गयी हैं तथा सभी मुर्गियाँ स्वस्थ्य है। मदर यूनिट के संस्थापक द्वारा उक्त प्राप्ति रसीद की मूल प्रति सहायक कुक्कुट पदाधिकारी को सौंपी जायेगी तथा छायाप्रति संधारित कर रखेंगे।

vii) **चूजों का उठाव–** भारत सरकार के पत्रांक– 43–23/2009–एल0 डी0 टी0 (पी0) दिनांक– 07.08.2009 के द्वारा मान्यता प्राप्त मुर्गीफार्म/ केन्द्रीय संगठनों से उत्पादित एक दिवसीय लोइनपुट प्रजाति चूजो को जिलों में स्थापित मदर यूनिट तक पहुँचायी जाएगी। चूजो का क्रय विभागीय स्तर पर किया जायेगा।

viii) **मदर यूनिट को दिये जाने वाले अन्य सुविधायें–** अच्छे मदर यूनिट के संस्थापक को विभाग के स्तर से देश के प्रतिष्ठित कुक्कुट संस्थानों में मुफ्त प्रशिक्षण दिलाया जायेगा तथा उन्हें विभाग स्तर पर पुरूस्कृत भी किया जायेगा।

3) **लाभार्थियों को किये जाने वाले चूजा वितरण एवं उसका अनुश्रवण–** मदर यूनिट के संस्थापक को लाभार्थियों की सूची सहायक कुक्कुट पदाधिकारियों द्वारा सौंपी जायेगी। उसी सूची के आधार पर टमदकवते (फेरीवाला) के द्वारा लाभान्वितों के घरों तक मुर्गियों के पहुँचाने का कार्य करेंगे। टमदकवते (फेरीवाला) के द्वारा किसी भी तरह के शुल्क/ मानदेय की मांग लाभान्वितों के परिवारों से नहीं की जायेगी। इस आशय का प्रमाण पत्रा भी मदर यूनिट के संस्थापक को देना होगा। समय–समय पर निरीक्षण हेतु विभाग से गए पदाधिकारियों को पूरी सूचना (लाभान्वित परिवारों के घर तक पहुँचने का रूट चार्ट, इत्यादि) मदर यूनिट के संस्थापक को उपलब्ध कराना होगा।

4) **लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता एवं प्रशिक्षण–** ''रूलर बैकयार्ड पोल्ट्री डेवलपमेन्ट योजना'' के तहत प्रति परिवार को लगभग 300/– रु0 का आवश्यक उपकरण (मुर्गियों के फीडर, ड्रिंकर एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों) का क्रय कर दिया जाना है। साथ ही जिला आत्मा के सहयोग प्रत्येक लाभार्थी को 6 दिवसीय प्रशिक्षण पॉल्ट्री फार्म स्कूल के माध्यम से प्रखंड स्तर पर दिया जाएगा।

5) लाभार्थियों से 4 सप्ताह तक चूजे पालकर दी जाने वाली मुर्गी के लिए ली जाने वाली राशि– बी0 पी0 एल0 एवं महादलित व्यक्यिों के लाभार्थियों से 10/– रु0 प्रति चूजा लिया जाएगा।

6) योजना का अनुश्रवण एवं नोडल पदाधिकारी– इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर नोडल पदाधिकारी के रूप में डा0 अजय कुमार, प्रभारी पदाधिकारी कुक्कुट तथा जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी के रूप में सहायक कुक्कुट पदाधिकारी होंगे। राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारी कार्य राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक आहूत करने, भारत सरकार को अद्यतन प्रतिवेदन भेजने तथा नाबार्ड के सम्पर्क में रहकर कर्ज संबंधी कार्रवाई का कार्य किया जाना होगा। जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी का कार्य मदर यूनिट के संस्थापक एवं विभाग के बीच एकरारनामा पर हस्ताक्षर करना बी0 पी0 एल0 परिवार का चयन करना, जिलान्तर्गत बांटी गयी मुर्गियों का स्वास्थ्य परीक्षण करना एवं उनके रख–रखाव संबंधी आवश्यक प्रशिक्षण देना तथा प्रतिमाह निदेशाल को प्रतिवेदन समर्पित करने का कार्य करेंगे। जिले में पदस्थापित सहायक कुक्कुट पदाधिकारियों को चार मदर यूनिट में पाली जाने वाली (1200 परिवारों को वितरित की गयी 45000 मुर्गियों पर) एक तकनीकी कर्मी जिनका मानदेय 4000/– रूपये प्रतिमाह की दर से अधिकतम एक वर्ष पर रखे जाने का प्रस्ताव है जिनका मुख्य कार्य मदर यूनिट में किए जाने वाले वैक्सीनेशन कार्य को देखना, बांटी गयी मुर्गियों का स्वास्थ्य परीक्षण करना होगा। सहायक कुक्कुट पदाधिकारी को प्रतिमाह अपने जिले में उक्त कार्य के भ्रमण हेतु भाड़े की गाड़ी के लिए 5000/– रूपये भी दिये जाने का प्रस्ताव है। राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारी समय–समय पर जिलों में बांटी गयी मुर्गियों के अनुश्रवण हेतु बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा निर्धारित दर पर वाहन से जिलों का दौरा करेंगे। साथ ही राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारी को जिलों के नोडल पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित करने हेतु 500/– रु0 प्रतिमाह रीचार्ज भाउचर की सुविधा देयी होगी।

7) वितरित मुर्गियों से होने वाले प्रति लाभार्थी के आर्थिक लाभ की गणना– प्रति परिवार के द्वारा 45 चूजों का पालन किया जाएगा। लाभार्थियों द्वारा चूजे पाले जाने के दौरान उनका मृत्युदर 10 प्रतिशत होने की संभावित स्थिति को देखते हुए न्युनतम अंडा/ मांस उत्पादन (1.5 वर्ष में) :–

40	x	140 अंडे प्रति वर्ष	=	5600 अंडे
5600 अंडे	x	3/– रु0	=	16800/– रु0

40 मुर्गियों से प्राप्त मांस

40	x	3 k.g.	=	120 k.g.
120 k.g.	x	60/– रु0	=	7200/– रु0

कुल प्राप्ति = 16800 . 7200 = 24000/– रु0
प्रति माह (24000/18 माह) = 1334/– रु0